

फर्द अहकाम
(नियम 26)
न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर कोलायत
पीठासीन अधिकारी- रतन कुमार स्वामी आर.ए.एस.

प्रार्थना पत्र- अन्तर्गत धारा 136 एलआर एक्ट मु. नं. 7 सन 2019

हुक्म की कार्यवाही मय इनिशियलस जज

नम्बर व तारीख
अहकाम जो इस
हुक्म की तामील में
जारी हुए

22.02.2019

यह प्रार्थना पत्र राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 के तहत तहसीलदार राजस्व कोलायत से प्राप्त हुआ। प्रार्थना पत्र की पत्रावली मुर्तिब हुई। पत्रावली दर्ज रजिस्टर की जाये।
प्रकरण में संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार से है कि सैग्रीगेशन को दृष्टिगत रखते हुए पटवारी हल्का खिंदासर ने खाता दुरुस्ती बाबत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया। संलग्न जमाबन्दी सम्वत् 2074-2077 की प्रति। पत्रावली का अवलोकन किया गया।
भू-अभिलेख निरीक्षक खिंदासर की रिपोर्ट तथा तहसीलदार कोलायत की अनुशांषा के आधार पर राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 के अनुसरण में ग्राम खिंदासर तहसील कोलायत व जिला बीकानेर की जमाबन्दी सम्वत् 2074-77 में खाता संख्या 617 में वर्तमान में दर्ज प्रविष्टि को निम्नलिखित रूप से शुद्ध किया जाकर राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद के आदेश दिये जाते हैं:-

क्र. सं.	ग्राम	खाता संख्या	वर्तमान प्रविष्टि (अशुद्ध प्रविष्टि)	आदेश (शुद्ध प्रविष्टि जो राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज की जानी है)
1	खिंदासर	617	रितिका कोली पत्नी अजय कोली जाति खत्री निवासी ई ब्लॉक म. नं. 8 ग्रेटर कैलाश भाग 2 न्यू दिल्ली 48 का 1/2 हि. वंदना कपूर पत्नी संदीप कपूर जाति खत्री निवासी 5 ब्लॉक 240 पंचशील पार्क न्यू दिल्ली 17 का 1/2 हि. 12.595 हे. तिलोकचन्द श्रवण कुमार पि. पूर्णाराम उर्फ पुरखाराम बहिब 1.145 हे. हि. खमा देवी धर्मपत्नी स्व. आईदानराम प्रमुराम पुनमचंद भंवरलाल जसू चंद्रा पि. आईदानराम बहिब 6/784 हि. शंकरलाल गायत्री शारदा पि. किसनलाल बहिब 1/784 हि. धूडाराम मघाराम मेघाराम फकीराराम आसूराम गंगाराम पि. उमाराम बहिब 6/12 हि. बाकी मांदा बदस्तूर जमाबंदी	रितिका कोली पत्नी अजय कोली जाति खत्री निवासी ई ब्लॉक म. नं. 8 ग्रेटर कैलाश भाग 2 न्यू दिल्ली 48, 2519/13740 हि. वंदना कपूर पत्नी संदीप कपूर जाति खत्री निवासी 5 ब्लॉक 240 पंचशील पार्क न्यू दिल्ली 17, 2519/13740 हि. तिलोकचन्द श्रवण कुमार पि. पूर्णाराम उर्फ पुरखाराम बहिब 1/30 हि. . खमा देवी धर्मपत्नी स्व. आईदानराम प्रमुराम पुनमचंद भंवरलाल जसू चंद्रा पि. आईदानराम बहिब 6/112 हि. शंकरलाल गायत्री शारदा पि. किसनलाल बहिब 1/112 हि. धूडाराम मघाराम मेघाराम फकीराराम आसूराम गंगाराम पि. उमाराम बहिब 6/16 हि. बाकी मांदा बदस्तूर जमाबंदी

निर्णय की प्रति तहसीलदार राजस्व कोलायत को भिजवाई जाये। पत्रावली निर्णय में शुमार होकर हस्त जाब्ता दाखिल दफतर हो।

निर्णय आज दिनांक 22.02.2019 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बसुरे इजलास में सुनाया गया।

22
उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर, कोलायत